

3. Disciplines- General Rules (महाविद्यालय अनुशासनावली)

- 1.) प्रातः 9:00 पर वेद-पाठ में सभी छात्रों का उपस्थित होना अनिवार्य है। अनुशासन उत्त्थान करने पर दण्डित किया जायेगा।
- 2.) यदि आपकी कक्षा रिक्त है तो आप पुस्तकालय में बैठकर अध्ययन करें। गन्दर परिसर में अत्र-तत्र भ्रमण न करें।
- 3.) महाविद्यालय के किसी भी कर्मचारी से परस्पर वाद-विवाद न करें। असंतोषजनक स्थिति में अनुमति लेकर आप प्राचार्या जी से मिल सकते हैं।
- 4.) कक्षाकाल में आपका मोबाइल जमा होगा।
- 5.) महाविद्यालय परिसर में कोई भी छात्र प्लास्टिक का प्रयोग न करें अर्थात् परिसर की साफ-सफाई आपका दायित्व है।
- 6.) सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को सभी विद्यार्थी सफेद-वेशभूषा अनिवार्य रूप से धारण करेंगे। संस्कृत कार्यक्रमों में भी सफेद-वेशभूषा अनिवार्य है।
- 7.) एकता भाव से शिक्षा ग्रहण करना आपका धर्म, आपसी वलह कदापि न करें। किसी समस्या हेतु आप अपने शिक्षक-गणों से मिल सकते हैं।

4. Hostel Rules

- 1.) प्रातःकाल 5:00 बजे के पश्चात कोई भी विद्यार्थी शयन नहीं करेगा. सभी अपने नित्यकर्म योगाभ्यास संध्या वन्दना स्वाध्याय शौचादि क्रियाओं में लग जाएंगे। प्रातः 5:00 बजे से 5:30 तक शौचादि निवृत्तकाल
 - 5:30 बजे से 6:20 तक ध्यान क्रिया, योगाभ्यास
 - 6:20 बजे से 7:00 तक स्नान क्रिया सम्पन्नकाल
 - 7:00 बजे से 8:00 तक जल-पान, अल्पहार
 - 9:00 बजे से 9:10 तक वेद-पाठ रुपरेखा कालावधि
 - 9:10 बजे से प्रथम शिक्षा कक्षा आरम्भ।

- 2.) सभी विद्यार्थी छात्रावास के उपभोजनालय में चाय-पान व भोजन करते अपने वर्तनों को स्वयं साफ करने तथा जो विद्यार्थी भण्डारे से भोजन थाली लेकर आयेगा वह तुरन्त थाली को साफ करके नीचे भण्डारे में वापिस रखा कर आये।
 - 3.) छात्रावास में कोई भी विद्यार्थी मोबाईल में संगीत आदि नहीं चलाएगा। अथवा घर बात करने के लिए एक घन्टा फोन रखने की स्वीकृति होगी।
 - 4.) बिना कारण के विहारद व शास्त्री के विद्यार्थी एक-दूसरे के प्रकोष्ठ में नहीं जायेंगे या अन्य स्थान पर न जायें।
 - 5.) छात्रावास के प्रत्येक छात्र की बाहर जाने व अंदर आने की सूचना द्वारपात के रजिस्टर में अंकित होगी अनिवार्य है।
 - 6.) छात्रावास का कोई भी विद्यार्थी मंदिर परिसर में बाहर के व्यक्ति के पास जाकर नहीं बैठेगा।
 - 7.) छात्रों द्वारा मंदिर परिसर के कर्मचारियों के साथ असंगत व्यवहार पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
 - 8.) सभी विद्यार्थी अपने रूम की सफाई नित्य स्वयं करेंगे, आवश्यकता न होने पर लाइट और पंखे बंद करेंगे।
 - 9.) विद्यार्थी महाविद्यालय के किसी भी कर्मचारी से परस्पर वाद-विवाद न करें। असंगतजनक स्थिति में अनुमति लेकर आप प्राचार्या जी से मिल सकते हैं।
 - 10.) स्वाध्याय समय-सारणी का सभी छात्रों के पास होना अनिवार्य है।
 - 11.) बाहर जाने का समय केवल कार्यानुसार 5 से 6 बजे तक का होगा।
 - 12.) प्रातः 5:00 बजे मौ शारदा वन्दना व सायंकाल आरती में उपस्थित होना अनिवार्य है।
 - 13.) रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे तक शयनकाल सुनिश्चित है। इस समय कोई भी छात्र मोबाईल फोन का प्रयोग न करे।
 - 14.) कक्षाकाल में कोई भी छात्र छात्रावास में न जायें तथा मोबाईल फोन का प्रयोग न करे।
 - 15.) भोजन समयावधि 45 मिनट सुनिश्चित रहेगी।
 - 16.) प्रातः 9:00 से 9:10 बजे तक वेद-पाठ में उपस्थिति दर्ज करवाना अनिवार्य है।
- नोट: यदि कोई विद्यार्थी छात्रावास के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही करते हुए दंड दिया जाएगा। अपराध के अनुसार उसे छात्रावास से निष्काशित भी किया जा सकता है।

5. Ragging is strictly prohibited in the college premises & outside.

Please Contact Anti-ragging Committee Convener : Dr. Daisy Rani, Mobile No.: 9728612704

For Contact: Monitoring agency for the Anti Ragging Helpline: Aman Satya Kachroo Trust

689, Sector 23, Gurgaon, Haryana-122017 Email: info@amanmovement.org

Mobile No.: 09871170303, 09818400116 (only in case of emergency)

6. Make it a habit to read Students Notice Board everyday for important information like-filling of examination form, important day's celebrations, society & club function, fee collection dates, scholarships & other important matters etc:

- a) Make best use of sports, gym, library & other facilities available in the college.
 - b) Grievance related to Girl students must be reported to Women Cell In-charge Dr. Sarika.
 - c) Grievances of any other kind may be reported to the Grievance and Redressal Committee of the college. (In-charge Dr. Renuka Dhyani)
 - d) Any other suggestion/complaints can be put (anonymously) in the suggestion/complaints box kept in the library.
 - e) The use of any type of intoxicant is prohibited in the college. In case of any type of help, Helpline No.7087081100 may be contacted (provided by DC office).
- Suggestions for the betterment from the students and faculty members are welcomed and will be taken up in future meetings.


Chief Proctor


Principal